



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन 1935 (श0)  
(सं0 पटना 795) पटना, मंगलवार, 8 अक्टूबर 2013

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

4 अक्टूबर 2013

एस0 ओ0 402, दिनांक 8 अक्टूबर 2013—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद से भी परामर्श करने के पश्चात् बिहार-राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-02 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 2013	221	4.63x4.93	5044.52
फरवरी, 2013	223	4.63x4.93	5090.17
मार्च, 2013	224	4.63x4.93	5113.00
अप्रैल, 2013	226	4.63x4.93	5158.85
मई, 2013	228	4.63x4.93	5204.30
जून, 2013	231	4.63x4.93	5272.78
योग: -			30883.62
औसत -			30883.62 ÷ 6
			= 5147.27

## अनुसूची-1 (ब)

1. अनुसूचित नियोजन का नाम- दवा बिक्री प्रोत्साहन नियोजन

अधिसूचना संख्या- 2784, 2785 तिथि 28.09.2011

गजट संख्या - 561 दिनांक 29.09.2011

## अनुसूची-II

क्र० सं०	कामागारों की कोटि	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी + दि० 01.04.2012 + 01.10.12 + 01.04.2013 से लागू परिवर्तनशील महँगाई भत्ता (रुपये में)	परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दि० 01.10.2013 से प्रभावी होगी (रुपये में)	दि० 01.10.2013 से लागू कुल मजदूरी की दरें (स्तंभ 3+4) (रुपये में)
1	2	3	4	5
1	अकुशल	132.00+7.00+6.00+10.00 = 155.00	8.00	163.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	137.00+7.00+6.00+11.00 = 161.00	8.00	169.00 प्रतिदिन
3	कुशल	169.00+8.00+7.00+13.00 = 197.00	10.00	207.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	206.00+10.00+9.00+16.00 = 241.00	12.00	253.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	3817.00+191.00+176.00+321.00 = 4905.00	245.00	5150.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महँगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून, 2013 के औसत के आधार पर अक्टूबर, 2013 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं० 5/एम०डब्लू०-405/07 श्र०सं०—3311)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विश्वम्भर राम,

सरकार के विशेष सचिव ।

## 4 अक्टूबर 2013

एस० ओ० 403, एस० ओ० 402, दिनांक 8 अक्टूबर 2013 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं० 5/एम०डब्लू०-405/07 श्र०सं०—3312)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विश्वम्भर राम,

सरकार के विशेष सचिव ।

*The 4th October 2013*

S.O. 402, dated 8th october 2013— In exercise of the powers conferred by section - 3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, and also after consulting the Bihar Minimum Wages Advisory Board, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness

Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-2 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section-02 of the said Act.

**SCHEDULE -1 (A)**

Month & Year	Index NO Base Year ( 2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year ( 1960-100)
1	2	3	4
January, 2013	221	4.63x4.93	5044.52
February, 2013	223	4.63x4.93	5090.17
March, 2013	224	4.63x4.93	5113.00
April, 2013	226	4.63x4.93	5158.85
May, 2013	228	4.63x4.93	5204.30
June, 2013	231	4.63x4.93	5272.78
<b>Total</b>			<b>30883.62</b>
<b>Average</b>			<b>30883.62 ÷ 6</b> <b>= 5147.27</b>

**SCHEDULE -1 (B)**

1. Name of Employment :- Sales Promotion of Medicine Employment  
 Notification No:-2784, 2785 date 28.09.2011  
 Gazette No. - 561 dated 29.09.2011

**SCHEDULE -II**

Sl. No	Categories of Worker	Minimum Wages Fixed + V.D.A from 01.04.2012+01.10.12+01.04.2013 (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.10.2013 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2013 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1	Unskilled	132.00+7.00+6.00+10.00 = 155.00	8.00	163.00 Per day
2	Semi Skilled	137.00+7.00+6.00+11.00 = 161.00	8.00	169.00 Per day
3	Skilled	169.00+8.00+7.00+13.00 = 197.00	10.00	207.00 Per day
4	Highly Skilled	206.00+10.00+9.00+16.00 = 241.00	12.00	253.00 Per day
5	Supervisory/ Clerical	3817.00+191.00+176.00+321.00= 4905.00	245.00	5150.00 Per month

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components.

But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised , there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January-June, 2013** will be payable at the aforesaid rates from **October, 2013** and there after increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No.5/M.W.- 405 /07 L&R —3311)

By order of the Governor of Bihar,  
VISHWAMBHAR RAM,  
*Special Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 795-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>